



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]
No. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

संदर्भ : राजपत्र अधिसूचना संख्या 140, दिनांक 28 मार्च, 2012

सा.का.नि. 412(अ).—सा.का.नि.256(अ), दिनांक 27-03-2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (दूरसंचार विभाग) से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना के पैरा 2(क) में

“फाइबर बिछाकर और” को

“(ग) फाइबर बिछाकर और.....” के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. 3-5/2012-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत)

सह-पदेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 2012

Reference : Gazette Notification No. 140 dated March 28, 2012

G.S.R. 412(E).—In the notification of the Government of India for the Ministry of Communications And Information Technology (Department of Telecommunications) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 256(E), dated 27th March, 2012, in the Para 2(a),

“For creation of Nation Optical Fibre Network.....” shall be read as

“(c) For creation of National Optical Fibre Network....”

[F.No. 3-5/2012-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
cum-ex-officio Jt. Secy.

संयुक्त प्रशासक (वि.स.)
Joint Administrator (Fin.)
सा. सं./Dy. No. 888
दिनांक/Date 27/6/12

27/6/12

JAC(F)